

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :- चक 43 एल एल डब्ल्यू जमाबदी सम्वत 2074-2077 खाता संख्या 82/82 प.न. 20/223 मु.न. 23 कि. न. 6/1 ता 25/2 में 4.770 है. नहरी, 0.290 है. गै.मु. रास्ता कुल खाता 5.060 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता आराजी में से वादी संख्या 1 को 1.687 है. व वादी संख्या 2 को 1.687 है. आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानुसार ही वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



हवाई
19/11/21
हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर (राजस्व)
सादुलशहर